Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 एचएम/8/2015/एसटीजीआरजे/एसईओटीएच/आर.यू–3

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi–110003

दिनांक: 13-10-2015

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
   राजस्थान सरकार,
   जयपुर (राजस्थान)

2. पुलिस महानिदेशक
   राजस्थान सरकार,
   जयपुर (राजस्थान)

3. कलेक्टर,
   जिला–जयपुर,
   राजस्थान

4. पुलिस अधीक्षक,
   जिला–जयपुर (दक्षिण)
   राजस्थान

**विषयः अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति की जमीन पर गैर–अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में श्री हल्के मीना पुत्र श्री जिनसी मीना गांव पहाड़ी मीरान तहसील व जिला–करौली (राजस्थान) का अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 03.09.2015 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर के समक्ष हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को शीघ्र भिजवाये।

भवदीय

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. श्री हल्के मीना पुत्र श्री जिनसी मीना गांव पहाड़ी मीरान तहसील व जिला–करौली (राजस्थान)।

प्रतिलिपि:

एस एस ए, एन आई सी।

सं0 एचएम/8/2015/एसटीजीआरजे/एसईओटीएच/आर.यू–3

**अनुसूचित जनजाति की कृषक की कृषि भूमि पर भू–माफिया द्वारा कब्जा कर आवासीय योजना के संबंध में श्री हल्के मीना ग्राम पहाड़ी मीरान तहसील व जिला–करौली (राजस्थान) के अभ्यावेदन पर दिनांक 03.09.2015 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर के समक्ष हुई बैठक का कार्यवृत्त।**

बैठक में उपस्थित : परिशिष्ट क

बैठक की तिथि : 03.09.2015

श्री हल्के मीना ग्राम पहाड़ी मीरान तहसील व जिला–करौली (राजस्थान) ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 09.07.2015 के द्वारा आयोग को अवगत कराया है कि उसकी कृषि भूमि पर भू–माफिया द्वारा कब्जा कर आवासीय योजना के तहत बेची जा रही है। प्रार्थी ने लिखा है कि उसने यह जमीन श्रीमती रूक्मा देवी एवं श्री फूल्या मीना ग्राम बरखेड़ा तहसील चाकसू जिला–जयपुर से ग्राम नांगलपुरन पटवार कलका वल्लुपुरा तहसील चाकसू में कृषि भूमि कुल 5 बीघा (132एयर) वर्ष 2013 में खरीदी थी जिसके खरीद दस्तावेज एवं जमाबंदी उसके पास है किन्तु उस जमीन पर कैलाश पुत्र रामपाल निवासी बरखेड़ा तहसील चाकसू जिला जयपुर तथा श्री जीतेन्द्र सिंह निवासी सरेखी जिला ढौलपुर ने आत्माधाम के नाम से आवासीय कालोनी बना दिया है और सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर के नाम पट्टे एवं रसीदें जारी कर रखी है।

आयोग ने दिनांक 10.07.2015 को जिला कलेक्टर, जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर (दक्षिण) से पत्राचार किया। पुलिस महानिदेशक, राजस्थान अपने पत्र दिनांक 31.07.2015 में 7 दिन का समय मांगते हुए जानकारी दी कि इस मामले में परिवादी के जरिए विशेष वाहक से पाबंद करवाया जा रहा है। प्रकरण में गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने अंतरिम पत्र दिनांक 05.08.2015 आयोग को प्रेषित किया है जिसमें बताया कि उन्होंने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राइटस) जयपुर को कार्रवाई हेतु निर्देश दिया है।

आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, राजस्थान एवं जिला कलेक्टर, जयपुर व पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर(दक्षिण) के साथ मामले में चर्चा एवं सुनवाई हेतु दिनांक 03.09.2015 को आयोग में बैठक निश्चित की।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 27.08.2015 एवं 31.08.2015 द्वारा अवगत कराया कि मुख्य सचिव, राजस्थान की राज्य कार्य में व्यस्तता के कारण दिनांक 03.09.2015 को आयोग में उनकी उपस्थिति से मुक्त किया जाए तथा उन्होंने जिला कलेक्टर, जयपुर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए। पुलिस

Ravi Thakur

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

महानिदेशक, राजस्थान की ओर से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राइटस) तथा पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (दक्षिण) की ओर से सहायक पुलिस आयुक्त, चाकसू आयोग में उपस्थित हुए। अभ्यावेदक श्री हल्के मीना भी उपस्थित हुआ।

श्री हल्के मीना ने आयोग को बताया कि उसने श्रीमती रूक्मा देवी एवं श्री फूल्या मीना ग्राम बरखेड़ा तहसील चाकसू जिला–जयपुर से ग्राम नांगलपुरन पटवार कलका वल्लुपुरा तहसील चाकसू में कृषि भूमि कुल 5 बीघा (132एयर) वर्ष 2013 में खरीदी थी जिसके खरीद दस्तावेज एवं जमाबंदी उसके पास है किन्तु उस जमीन पर कैलाश पुत्र रामपाल निवासी बरखेड़ा तहसील चाकसू जिला जयपुर तथा श्री जीतेन्द्र सिंह निवासी सरेखी जिला ढौलपुर ने आत्माधाम के नाम से आवासीय कालोनी बना दिया है और सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर के नाम पट्टे एवं रसीदें जारी कर रखी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राइटस) ने सूचित किया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) जयपुर को निर्देश दिए गए हैं कि मामले में सही अनुसंधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सहायक पुलिस आयुक्त, चाकसू ने आयोग को अवगत कराया कि वह प्रकरण से संबंधित अनुसंधान अधिकारी है। उनके द्वारा मामले से संबंधित दोनों पक्षों से पूर्ण एवं गहन पूछताछ की जा रही है और कथित जमीन पर किसी प्रकार का अग्रिम कोई निर्माण कार्य नहीं करने देने पर ध्यान दिया जा रहा है तथा शिकायतकर्ता श्री हल्के मीना की हर बात को सुना जा रहा है।

आयोग ने देखा कि मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा नं0 3056/15 धारा 447 व 3–3–1(5) एससी/एसटी एक्ट पुलिस थाना शिवदासपुरा दक्षिण, जयपुर में दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संगत धाराओं को नहीं लगाने का कारण आयोग को भिजवाए।

आयोग ने सहायक पुलिस आयुक्त, चाकसू को सलाह दी कि अनुसंधान कार्रवाई के दौरान पूछताछ संबंधी जानकारी एवं अन्य रिकॉर्ड शिकायतकर्ता श्री हल्के मीना के गांव जाकर मालूम किया जाए तथा कार्रवाई के दौरान उनकी जान–माल की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र आयोग को प्रस्तुत की जाए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कार्रवाई के लिए दो महीने का समय मांगा। माननीय उपाध्यक्ष ने मामले की स्थलीय जांच के लिए आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर से जांच पड़ताल/छानबीन करवाने के आदेश दिए हैं।

Ravi Thakur

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट–क

सं0 एचएम/8/2015/एसटीजीआरजे/एसईओटीएच/आर.यू–3

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री रवि ठाकुर | उपाध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती के0डी0 बन्सौर | निदेशक |
| 3. | श्री एच0आर0 मीना | वरिष्ठ अन्वेषक |
| **राजस्थान सरकार (मुख्य सचिव & डीजीपी)** | | |
| 1. | श्री उमेश मिश्रा | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राइटस) |
| **पुलिस अधीक्षक, जयपुर (राजस्थान)** | | |
| 1. | श्री राजेन्द्र सिंह | सहायक पुलिस आयुक्त, चाकसू |
| **अभ्यावेदक** | | |
| 1 | श्री हल्के मीना | |